

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

007

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 04 3742011, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1933 / 1-10-2011-14(23) / 2004, दिनांक 07.07.2011 के क्रम में प्राप्त उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-पी.ए.सी.-3-813-2011 / 2950, दिनांक 22.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा राहत कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रु० 92,96,500 /- (रुपये बान्न्बे लाख छियानबे हजार पाँच सौ मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

4- आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्य हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
24.11.2011
(कै० कै० सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या -2968(1)/1-10-2011-14(23)/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी. मुख्यालय, महानगर, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- ✓ 6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/
राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस
अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट
<http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
24/11/2011
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।